

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/2022)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-1/785-795 दिनांक:- 8-4-2022

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/2009 पार्ट-2 दिनांक 25-2-2022 (सहायक शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 10-3-2022 के द्वारा इस विभाग में प्राप्ति दिनांक 14-3-2022) के द्वारा अवगत कराया है कि RTI Online Portl (www.rti.rajasthan.gov.in) के सुचारू रूप से संचालन हेतु पोर्टल पर पंजीकृत विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों की सूचनाएँ अद्यतन की जानी आवश्यक है।

इस संबंध में इस विभाग, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों (SPIO) को निर्देशित किया जाता है कि आर.टी.आई. ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज राज्य लोक सूचना अधिकारियों अन्यत्र स्थानान्तरण होने पर उनकी सूचना समय-समय पर Mapping हेतु अद्यतन करें। उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर सूचनाएँ अद्यतन करने में किसी प्रकार तकनीकी समस्याओं के लिये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कि ई-मेल rti.helpdesk@rajasthan.gov.in (Contact No. 01412921314 एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा स्तर से संबंधित होने पर jdadmncce@gmail.com व cmhelpline.cce@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।



आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/2022)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-1/785-795 दिनांक:- 8-4-2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/2009 पार्ट-2 दिनांक 25-2-2022 के संदर्भ में।
2. सहायक शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 5(1) शिक्षा-3/2021 दिनांक 10-3-2022 के संदर्भ में।
3. रजिस्टर, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. चौराहा, झालाना लिंक रोड़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
11. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित) राजस्थान।
12. वेबसाईट प्रभारी-आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।


आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।